आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –63 / 2021
श्रीमती रीता देवी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
13.03.2023	यह पुनरीक्षण / अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक–37 में दिनांक–06.07.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने श्रीमती रीता देवी (सेविका) को चयन मुक्त करने का आदेश दिया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को पोषणीयता के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदिका का चयन आंगनबाड़ी सेविका के पद पर 1988 में हुआ है एवं उन्हे चयन मुक्त दिनांक–06.07.2021 को किया गया है। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता से इस संबंध में पूछे जाने पर कि क्या प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। उनके द्वारा कोई संतोषप्रद (स्पष्ट) जवाब नहीं दिया एवं नहीं ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे यह साबित हो जाये कि प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं	

विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला में सेविका का चयन वर्ष 2005 से पूर्व का है एवं समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में वैसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***''जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।''*** प्रश्नगत मामले में पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL